

लैंगिक समानता हेतु महिला आरक्षण वधियक

यह एडिटोरियल 21/09/2023 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "Lok Sabha passes historic women's reservation Bill" लेख पर आधारित है। इसमें राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की वृहत भागीदारी के संबंध में चर्चा की गई है।

प्रलमिस के लयि:

महिला आरक्षण वधियक 2023, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 73वाँ और 74वाँ संवधान संशोधन, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति

मेन्स के लयि:

लैंगिक समानता, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व।

संवधान (128वाँ संशोधन) वधियक, 2023 लोकसभा और राज्यसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के रूप में पेश यह वधियक लोकसभा और राज्य वधानसभाओं में एक-तर्हिई सीटें महिलाओं के लयि आरक्षण करने का लक्ष्य रखता है।

वधियक की मुख्य बातें

- महिलाओं के लयि आरक्षण: यह वधियक लोकसभा, राज्य वधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दलिली की वधानसभा में कुल सीटों की लगभग एक-तर्हिई सीटें आरक्षण करने का प्रावधान करता है। लोकसभा और राज्य वधानमंडल में SCs और STs के लयि आरक्षण सीटों पर भी यह प्रावधान लागू होगा।
- आरक्षण का प्रभावी होना: इस वधियक के लागू होने के बाद आयोजित होने वाली जनगणना के प्रकाशन के उपरान्त यह आरक्षण प्रभावी होगा। नवीन जनगणना के आधार पर महिलाओं के लयि सीटें आरक्षण करने के लयि परसीमन (delimitation) कथि जाएगा। यह आरक्षण आरंभ में 15 वर्ष की अवधि के लयि प्रदान कथि जाएगा। हालाँकि, संसद द्वारा नरिमति एक वधि के माध्यम से इसे आगे के लयि भी जारी रखा जा सकेगा।
- सीटों का रोटेशन: संसद द्वारा नरिमति एक वधि द्वारा नरिधारित आधार पर महिलाओं के लयि आरक्षण सीटों का प्रत्येक परसीमन के बाद रोटेशन कथि जाएगा।

भारतीय राजनीति में महिलाओं के लयि आरक्षण की पृष्ठभूमि:

- राजनीति में महिलाओं के लयि आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से वमिर्श का अंग रहा है जसिके चहिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ढूँढे जा सकते हैं। वर्ष 1931 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लखि अपने पत्र में (तीन महिला नकियों द्वारा नए संवधान में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त रूप से जारी कथि गए आधिकारिक ज्ञापन को प्रस्तुत करते हुए) महिला नेत्री बेगम शाह नवाज़ और सरोजिनी नायडू ने कहा था कि किसी भी प्रकार के अधिमिन्य व्यवहार की तलाश करना राजनीतिक स्थिति की पूर्ण समानता की भारतीय महिलाओं की सार्वभौमिक मांग की अखंडता का उल्लंघन करने के समान होगा।
- महिलाओं के लयि राष्ट्रीय परिपेक्ष्य योजना (National Perspective Plan for Women) ने वर्ष 1988 में अनुशांसा की थी कि महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद के स्तर तक आरक्षण प्रदान कथि जाए।
- इन अनुशांसाओं ने 73वाँ और 74वाँ संवधान संशोधन के ऐतिहासिक अधिनियमन का मार्ग प्रशस्त कथि, जहाँ सभी राज्य सरकारों के लयि पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में महिलाओं के लयि एक तर्हिई सीटें आरक्षण करने और पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय नकियों में सभी स्तरों पर अध्यक्ष/प्रमुख के पदों पर एक तर्हिई सीटें आरक्षण करने का अधदिश दिया गया। महिलाओं के लयि आरक्षण इन सीटों में से एक तर्हिई सीटें अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लयि आरक्षण हैं।
- राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति (National Policy for the Empowerment of Women), 2001 में कहा गया कि उच्च वधियी नकियों में भी आरक्षण पर वचिार कथि जाएगा।
- मई 2013 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं की स्थिति पर वचिार करने के लयि एक समिति का गठन कथि, जसिने स्थानीय नकियों, राज्य वधानसभाओं, संसद, मंत्रिमंडलीय स्तर और सरकार के सभी नरिण्यकारी नकियों में महिलाओं के लयि कम से कम 50% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने की अनुशांसा की।
- वर्ष 2015 में 'भारत में महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट' (Report on the Status of Women in India) में दर्ज कथि गया कि राज्य

वधिनसभाओं और संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नरिशानजनक बना हुआ है। इसने भी स्थानीय निकायों, राज्य वधिनसभाओं, संसद, मंत्रिमंडलीय स्तर और सरकार के सभी नरिणयकारी निकायों में **महिलाओं के लिये कम से कम 50% सीटें** आरक्षण करने की सफ़िरशि की।

वधियक के पक्ष में प्रमुख तरक:

■ लैगिक समानता:

- राजनीति में महिलाओं का उपयुक्त प्रतिनिधित्व लैगिक समानता की दशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।
- **ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2022** के अनुसार, **भारत राजनीतिक सशक्तीकरण के मामले में 146 देशों की सूची में 48वें स्थान पर था।**
- इस रैंक के बावजूद उसका स्कोर 0.267 के अत्यंत नमिन स्तर पर था। इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रैंकगि वाले कुछ देशों का स्कोर इससे बहुत बेहतर है। उदाहरण के लिये, आइसलैंड 0.874 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि बांग्लादेश 0.546 के स्कोर के साथ 9वें स्थान पर था।

■ ऐतहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व:

- लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली लोकसभा में 5% से बढ़कर 17वीं लोकसभा में 15% हो गई; लेकिन यह संख्या अभी भी बहुत कम है।
- पंचायतों में महिलाओं के लिये आरक्षण के प्रभाव के बारे में वर्ष 2003 के एक अध्ययन से पता चला कि आरक्षण नीति के तहत नरिवाचिता महिलाओं ने महिलाओं से संबद्ध सार्वजनिक हति या 'पब्लिक गुड्स' में अधिक नरिश कया।
- कार्मिक, लोक शकियात, वधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति (2009) ने पाया कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण ने उन्हें सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाया।

■ महिलाओं का स्व-प्रतिनिधित्व और स्व-नरिणय का अधिकार:

- यदि किसी समूह को राजनीतिक व्यवस्था में अनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है तो नीति-नरिमाण को प्रभावित करने की उसकी क्षमता सीमित हो जाती है। **महिलाओं के वरिद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उनमूलन पर कन्वेंशन (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)** नरिदष्टि करता है कि राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के वरिद्ध भेदभाव को समाप्त कया जाना चाहिए।
- वभिनिन सर्वेक्षणों से पता चलता है कि पंचायती राज की महिला प्रतिनिधियों ने गाँवों में समाज के विकास एवं समग्र कल्याण की दशा में सराहनीय कार्य कया है और उनमें से कई नरिशचिता रूप से वृहत स्तर पर कार्य करने की इच्छा रखती हैं,
- लेकिन प्रचलित राजनीतिक संरचना में उन्हें वभिनिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

■ वधि परिरेक्षण:

- एक अधिक वधितापूर्ण वधिनमंडल, जिसमें महिलाएँ उल्लेखनीय संख्या में शामिल हों, नरिणय लेने की प्रक्रिया में व्यापक दृष्टिकोण का प्रवेश करा सकता है। यह वधिता बेहतर नीति-नरिमाण और शासन की ओर ले जा सकती है।

■ महिलाओं का सशक्तीकरण :

- राजनीति में महिला आरक्षण वभिनिन स्तरों पर महिलाओं को सशक्त बनाता है। यह न केवल अधिकाधिक महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करता है बल्कि महिलाओं को अन्य क्षेत्रों में भी नेतृत्व की भूमिका नभाने के लिये प्रेरित करता है।

■ महिला संबंधी मुद्दों को बढ़ावा:

- राजनीति में सक्रिय महिलाएँ प्रायः उन मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं और उनकी वकालत करती हैं जो महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे लगी-आधारित हसिा, महिलाओं का स्वास्थ्य, शक्ति एवं आर्थिक सशक्तीकरण उनकी उपस्थिति से नीतगित वमिरशों में इन मुद्दों को प्राथमिकता प्राप्त हो सकती है।

■ 'रोल मॉडल':

- राजनीति में सक्रिय महिला नेत्रियों बालिकाओं के लिये 'रोल मॉडल' के रूप में कार्य कर सकती हैं, जिससे उन्हें वभिनिन क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका की आकांक्षा रखने के लिये प्रोत्साहित कया जा सकता है। राजनीति में प्रतिनिधित्व रूढविादिता को तोड़ सकता है और भावी पीढ़ियों को प्रेरित कर सकता है।
- वर्ष 1966 से 1977 तक भारत की पहली एवं एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहीं इंदिरा गांधी और भारत की दूसरी महिला वदिश मंत्री (इंदिरा गांधी के बाद) रहीं सुषमा स्वराज ने देश की बालिकाओं के लिये ऐसे ही 'रोल मॉडल' प्रस्तुत कया।

■ वधियक के वधिकष में प्रमुख तरक

- महिलाएँ जाति समूह की तरह किसी सजातीय समुदाय (homogeneous community) नहीं हैं। इसलिये, जाति-आधारित आरक्षण के लिये जो तरक दिये जाते हैं, वे महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं दिये जा सकते।
- महिलाओं के लिये सीटें आरक्षण करने का कुछ लोगों द्वारा इस आधार पर वरिध कया जाता है कि ऐसा करना संवधिन में शामिल समता के अधिकार की गारंटी का उल्लंघन है। उनका दावा है कि यदि आरक्षण लागू हुआ तो महिलाएँ योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएँगी, जिससे समाज में उनका दर्जा कमतर हो सकता है।

इस वधियक के कार्यान्वयन की राह की प्रमुख चुनौतियाँ:

■ परसीमन संबंधी मुद्दे:

- परसीमन कयि जाने के बाद ही महिला आरक्षण लागू हो सकेगा, जबकि परसीमन की प्रक्रिया अगली जनगणना के प्रासंगिक आँकड़े प्रकाशित होने के बाद ही शुरू हो सकेगी।
- चूँकि अगली जनगणना की तिथि अभी पूर्णतः अनरिशचिता है, इसलिये परसीमन की कोई भी बात दोगुनी अनरिशचिता है।

■ वधियक से संबद्ध OBCs का मुद्दा:

- महिला आरक्षण वधियक लोकसभा और राज्य वधिनसभाओं में महिलाओं के लिये 33% सीटें आरक्षण करता है लेकिन इसमें अन्य पछिड़े

- वर्ग (OBCs) की महिलाओं के लिये कोई कोटा शामिल नहीं है।
- गीता मुखर्जी समिति (1996) ने महिला आरक्षण को OBCs तक वस्तुतः करने की सफ़ारिश की थी।

महिला प्रतिनिधित्व को प्रभावी ढंग से कैसे साकार किया जा सकता है?

- **स्वतंत्र नरिणयन को सुदृढ़ करना:**
 - एक स्वतंत्र नगरानी प्रणाली या समितियों स्थापना की जानी चाहिये जो पारिवारिक सदस्यों द्वारा महिला प्रतिनिधियों की नरिणय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने पर स्पष्ट रूप से रोक लगाएँ।
 - पतिसततात्मक मानसिकता को प्रभाव को कम कर इसे प्रवर्तित किया जा सकता है।
- **जागरूकता और शिक्षा की वृद्धि:**
 - महिलाओं में उनके अधिकारों और राजनीति में उनकी भागीदारी के महत्त्व के बारे में जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। **शैक्षिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।**
- **लगा-आधारित हिसा और उत्पीड़न को संबोधित करना:**
 - लगा-आधारित हिसा और उत्पीड़न राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की राह की बड़ी बाधाएँ हैं। नीतित एवं वधिक उपायों के माध्यम से इन मुद्दों को संबोधित करने से राजनीति में महिलाओं के लिये एक सुरक्षित और अधिक समर्थनकारी माहौल तैयार हो सकता है।
- **चुनावी प्रक्रिया में सुधार:**
 - आनुपातिक प्रतिनिधित्व (proportional representation) और अधिमिन्य मतदान प्रणाली (preferential voting system) शुरू करने जैसे सुधारों के माध्यम से अधिकाधिक महिलाओं का नरिवाचन सुनिश्चित होगा, जिससे राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
 - ये भारतीय राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के कुछ उपाय मात्र हैं। दीर्घकालिक परिवर्तन को प्रभावी करने के लिये एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है जो विविध चुनौतियों को हल कर सके।

अभ्यास प्रश्न: भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं के नमिन प्रतिनिधित्व के कारणों का परीक्षण कीजिये। नारी शक्ति विंदन विधेयक, 2023 भारतीय राजनीति में लैंगिक अंतराल को कहाँ तक कम कर सकेगा?

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/women-s-reservation-bill-for-gender-equality>

